संख्या-6-वे0आ0-2-116805 /दस-2021

प्रेषक,

एस0 राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक: 26 नवम्बर, 2021**

विषय- **पद सृजन/संवर्गों के पुनर्गठन के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत है कि विभिन्न विभागों की नियमावलियों पर परामर्श वर्तमान में वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा दिया जा रहा है एवं पद सृजन एवं पुनर्गठन व्यय नियंत्रण अनुभागों की सहमति से हो रहे हैं। नियमावलियों के प्राविधानों के परीक्षण पर यह पाया जा रहा है कि एक ही स्तर के पदों की भर्ती एवं पदोन्नति आदि के अर्हकारी आधार भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा भिन्न-भिन्न रखे गये हैं। चूँकि उत्तर प्रदेश कार्य बटवारा नियमावली, 1975 के अन्तर्गत नियमावलियों, संवर्ग के पुनर्गठन एवं पदोन्नति के मापदण्डों की समरूपता निर्धारित करने का विषय पूर्णतः कार्मिक विभाग का है तथा उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, 1975 के नियम-4(2) में जो आदेश वित्त विभाग की सहमति से ही जारी करने का प्राविधान है उस नियम के परन्तुक से भी यह आभासित है कि इस प्रकार के आदेशों पर वित्त विभाग की सहमति के पूर्व कार्मिक विभाग की भी पूर्व सहमति होनी चाहिए अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रकरणों पर पहले कार्मिक विभाग द्वारा परामर्श/सहमति प्रदान की जाय। यह महत्वपूर्ण है कि पद सृजन/संवर्ग के पुनर्गठन एवं नियमावली के प्रख्यापन में वेतनमान एवं संवर्गीय संरचना के महत्वपूर्ण बिन्दु राज्य सरकार के सभी विभागों पर व्यापक प्रभाव डालते हैं।

उपर्युक्त स्थिति में आपसे यह अनुरोध है कि राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग में नीतिगत एकरूपता बनाये रखने के दृष्टि से एवं भविष्य के मा0 न्यायालयों में उत्पन्न होने वाले वादों से बचने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि आप द्वारा उपर्युक्त प्रकार के प्रकरणों में पहले अनिवार्य रूप से कार्मिक विभाग का परामर्श प्राप्त कर लिया जाय और तदोपरान्त ही ऐसे प्रकरण वित्त विभाग को संदर्भित किये जायें। इससे एक ओर जहाँ लम्बित मामलों का निस्तारण समय से हो पायेगा, वहीं कार्मिक विभाग के मार्गदर्शन में कार्मिकों से जुड़े प्रकरणों को सामंजस्य के साथ निस्तारण किया जा सकेगा, जिससे न्यायालय के वादों में भी कमी की जा सकेगी।

भवदीया,
एस0 राधा चौहान

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in